DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

21 February, 2024

धन विधेयक और संवैधानिक चुनौती

संदर्भ: *चुनावी बांड योजना को रद्द करने और आधार अधिनियम को बनाए रखने जैसे हालिया मामलों के संबंध में, उच्चतम न्यायालय से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, कि धन विधेयक को क्या परिभाषित करता है।*

➢ **पृष्ठभूमि:**

- उच्चतम न्यायालय धन विधेयक के गठन से संबंधित एक प्रमुख कानूनी प्रश्न पर विचार कर रहा है।
- चुनावी बांड योजना और आधार अधिनियम जैसे हालिया मामलों के कारण यह मुद्दा सामने आया है।

➢ **धन विधेयक की परिभाषा:**

- धन विधेयक संसद द्वारा कानून बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करते हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक के रूप में नामित किसी विधेयक को केवल लोकसभा से सहमति की आवश्यकता होती है।
- किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने के मानदंड में; अनुच्छेद 110 के अनुसार, कराधान, वित्तीय दायित्वों या इन विषयों से जुड़े मामलों जैसे कुछ विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- कोई विधेयक धन विधेयक के रूप में योग्य है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

➢ **उक्त मुद्दे का महत्व:**

- धन विधेयक के माध्यम से 'वित्त अधिनियम' के हालिया अधिनियमों, जिसमें महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन भी शामिल हैं, ने वर्तमान में संवैधानिक समस्याएं बढ़ा दी हैं।
- ऐसे अधिनियम संबंधी चुनौतियों के कारण कुछ विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता पर प्रश्न उठाये जाते रहे हैं।

➢ **उच्चतम न्यायालय के विगत निर्णय:**

- वर्ष 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने धन विधेयक के रूप में पारित होने से संबंधित चुनौतियों के बावजूद, आधार अधिनियम को संवैधानिक माना था।
- हालाँकि, असहमतिपूर्ण राय ने धन विधेयक मार्ग के दुरुपयोग और विधायी प्रक्रियाओं पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को उजागर किया था।
- इसके लिए वित्त अधिनियम, 2017 से संबंधित एक अन्य चुनौती को धन विधेयक के रूप में इसकी वैधता पर विचार करने के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा गया था।

➢ **वर्तमान स्थिति:**

- धन विधेयक मार्ग से पारित संशोधनों की चुनौतियाँ बड़ी पीठ के निर्णय के लंबित रहने तक अनसुलझी बनी रहती हैं।
- हालिया फैसले, जैसे कि चुनावी बांड योजना को सुविधाजनक बनाने वाले संशोधनों को रद्द करना; धन विधेयक मुद्दे के महत्व को रेखांकित करता है।

➢ **संभावित प्रभाव:**

- धन विधेयक की परिभाषा पर सात न्यायाधीशों की पीठ के इस निर्णय का, धन विधेयक मार्ग से पारित कानून के खिलाफ; भविष्य की चुनौतियों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें आधार अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम जैसे कानून शामिल हो सकते हैं।
- पीठ के फैसले के आधार पर, धन विधेयक के रूप में पारित मौजूदा कानूनों के खिलाफ नई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं।

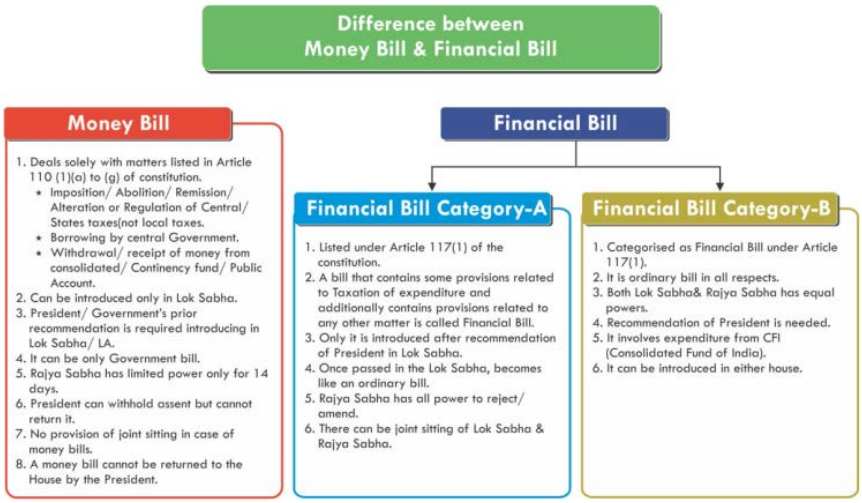

वनों की व्यापक एवं सर्वव्यापी परिभाषा

संदर्भ*: उच्चतम न्यायालय ने सरकारों से वर्ष 1996 के टी एन गोदावर्मन मामले से लिए गए वनों की व्यापक परिभाषा का उपयोग करने का आग्रह किया है, जब तक कि सभी प्रकार के वनों का पूरा रिकॉर्ड संकलित नहीं हो जाता।*

➢ **पृष्ठभूमि:**

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 19 फरवरी को यह आदेश पारित किया था।
- यह आदेश वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (FCA) में 2023 संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं से संबंधित है।

➢ **2023 संशोधन का उद्देश्य:**

- इन संशोधनों का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण एफसीए द्वारा कथित रूप से कमजोर वनावरण को सरेखित करना था।
- सरकार के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के फैसले ने FCA की प्रयोज्यता का विस्तार किया था, जिससे विकास गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हुई थी।

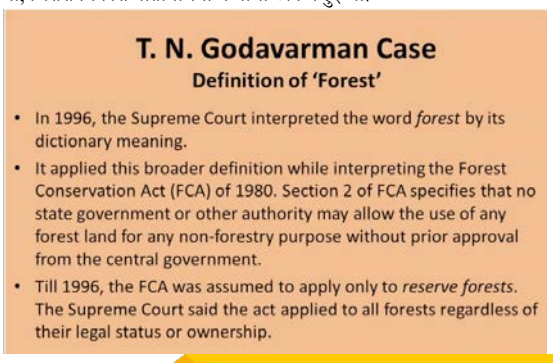

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

21 February, 2024

➢ **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई वन की परिभाषा:**

- उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था, कि FCA 'वन' के रूप में दर्ज या जंगल के शब्दकोश अर्थ से मिलते-जुलते भूमि क्षेत्रों पर लागू होगा।
- वर्ष 1980 में एफसीए को लागू करने के पीछे संसद की इच्छा के अनुरूप, भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस परिभाषा को दोहराया गया था।

➢ **FCA की प्रयोज्यता की सीमा:**

- वर्ष 2023 के संशोधनों के बावजूद, FCA का दायरा "आरक्षित वन" से आगे बढ़कर किसी भी वन भूमि को स्वयं में शामिल करता है।
- वर्ष 2022 के एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि वन भूमि, जैसा कि शब्दकोश अर्थ में समझा जाता है, FCA द्वारा कवर की जाती है।

➢ **संरक्षण-समर्थक उपाय:**

- संबंधित मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में प्रस्तावित संरक्षण-समर्थक प्रावधान को वर्ष 2023 के संशोधनों में शामिल नहीं किया गया था।

➢ **संशोधनों के विरुद्ध तर्क:**

- वर्ष 2023 के संशोधनों को चुनौती भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर की गई थी।
- इन चुनौतियों में FCA के दायरे से रिकॉर्डेड वन क्षेत्रों के बाहर के जंगलों का संभावित बहिष्कार भी शामिल था।

➢ **वर्तमान स्थिति और भविष्य के प्रयास:**

- सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 मार्च तक व्यापक वन रिकॉर्ड जमा करना होगा।
- भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को यह डेटा 15 अप्रैल तक प्रकाशित करना है।
- इस मामले के अंतिम निपटारे के लिए सुनवाई आगामी जुलाई में होगी।

➢ **पिछली उच्चतम न्यायालय के परिभाषा की पुनः पुष्टि:**

- उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से समेकित वन रिकॉर्ड को अंतिम रूप दिए जाने तक वनों की अपनी 1996 की परिभाषा का पालन करने के लिए कहा है।
- साथ ही विशेषज्ञ समितियों को वन रिकॉर्ड संकलित करते समय पिछले पैनलों द्वारा की गई प्रगति पर विचार करने का निर्देश दिया गया है।

अनुच्छेद 142

संदर्भ: *सर्वोच्च न्यायालय ने 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव के परिणामों को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी व्यापक शक्तियों का उपयोग किया।*

➢ **संविधान का अनुच्छेद 142:**

- अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पक्षों के बीच "पूर्ण न्याय" देने का अधिकार देता है, यहां तक कि उन स्थितियों में भी जहां कानून कोई विशिष्ट उपाय प्रदान नहीं कर सकता है।
- अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने और किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देता है।
- यह कानूनी कार्यवाही के दौरान वादियों द्वारा झेले गए किसी भी कानूनी अन्याय या गलत काम को सुधारने के लिए शीर्ष अदालत को विशेष और असाधारण क्षमताओं के साथ सशक्त बनाता है।
- अनुच्छेद 142(1) निर्दिष्ट करता है, कि सर्वोच्च न्यायालय अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश जारी कर सकता है। ये आदेश, संसदीय कानून बनने तक; संसद या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पूरे भारत में लागू होते हैं।

➢ **न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग:**

- अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का दायरा और सीमा विभिन्न निर्णयों के माध्यम से परिभाषित किया गया है।
- प्रेम चंद गर्ग मामले में, अदालत ने रेखांकित किया कि अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया आदेश मौलिक अधिकारों और वैधानिक कानूनों के अनुरूप होने चाहिए।
- भोपाल गैस त्रासदी मामले ने अनुच्छेद 142 के व्यापक दायरे को प्रदर्शित किया, जहां अदालत ने वैधानिक सीमाओं के बावजूद पीड़ितों के लिए मुआवजे का आदेश दिया।
- अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 142 की शक्तियां सामान्य कानूनों से अलग हैं और उसे उनके द्वारा प्रतिबंधित नहीं की जा सकतीं।

➢ **आलोचना:**

- आलोचकों का तर्क है कि अनुच्छेद 142 की शक्तियाँ मनमानी और अस्पष्ट हैं, जिनमें "पूर्ण न्याय" के लिए मानक परिभाषा का अभाव है।
- हालाँकि, अदालत ने इस आलोचना को इस बात पर जोर देकर संबोधित किया है कि ये शक्तियाँ पूरक हैं और मूल कानूनों को समाप्त नहीं कर सकती हैं।
- यह निष्पक्षता और वैधता बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करता है, कि मामले में शामिल नहीं होने वाले पक्षों के साथ कोई अन्याय न हो।
- जबकि आलोचक न्यायिक अतिरेक के बारे में प्रश्न करते हैं, लेकिन मसौदा समिति ने इसके सीमित उपयोग को सुनिश्चित करते हुए, असाधारण परिस्थितियों के लिए अनुच्छेद 142 को आरक्षित कर दिया है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

यूनिसेफ

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी (यूनिसेफ) के नेतृत्व में एक अध्ययन में पाया गया कि गाजा पट्टी के उत्तर में, जहाँ गाजा शहर स्थित है वहाँ हर छठा बच्चा तीव्र कुपोषण का शिकार है।

यूनिसेफ के बारे में:

- युनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड (यूनिसेफ) जिसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (आईसीईएफ) के नाम से जाना जाता था संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर के बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करती है।
- इसकी स्थापना 11 दिसंबर, 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा और लुडविक राजचमन (Ludwik Rajchman) द्वारा की गई थी।
- इसका मिशन युद्ध, आपदाओं, अत्यधिक गरीबी, सभी प्रकार की हिंसा और शोषण के शिकार बच्चों , विकलांग बच्चों सहित और सबसे वंचित बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- यह 1953 में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी अंग बन गया।
- इसने भारत में 1949 में अपना काम शुरू किया और वर्तमान में 16 राज्यों में कार्य करता है।
- यूनिसेफ की सहायक संस्थाओं में यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया और यूनिसेफ आयरलैंड शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

तेल और प्राकृतिक गैस निगम

हाल ही में, बॉम्बे हाई में पहले कुएं में तेल की उत्साहवर्धक खोज के बाद, तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के बॉम्बे से 160 किलोमीटर दूर इस आशाजनक क्षेत्र में और अधिक कुएँ खोदने की उम्मीद है।

ओएनजीसी के बारे में:

- तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।
- यह भारत में सबसे बड़ी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है जो भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 71 प्रतिशत का योगदान देती है।
- नवंबर 2010 में भारत सरकार द्वारा इसे "महारत्न" का दर्जा दिया गया था।
- 2023 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में यह वैश्विक स्तर पर 158वें और भारत में चौथे स्थान पर रही।
- यह पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था और रसोई गैस एलपीजी सहित विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के लिए आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल और एमआरपीएल (जो ओएनजीसी की सहायक कंपनियां हैं) जैसी डाउनस्ट्रीम कंपनियों को कच्चा तेल आपूर्ति करती है।
- कंपनी के संचालन का प्रबंध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और यह विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक उद्यमों में शामिल है, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों का अन्वेषण, उत्पादन, शोधन और वितरण शामिल है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- ओएनजीसी की आधारशिला 1955 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के तहत तेल और गैस डिवीजन के रूप में रखी गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

हर साल 21 फरवरी को विश्वभर में **अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस** मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भाषाई और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में :

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने सर्वप्रथम 1999 में इस दिवस की घोषणा की थी और 2000 से इसे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है।
- 2024 के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय है **"बहुभाषी शिक्षा: सीखने और पीढ़ियों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान का आधार"**। (**Language is Multilingual education – a pillar of learning and intergenerational learning**)
- यह दिवस बांग्लादेश के लोगों द्वारा अपनी मातृभाषा बंगाली को संरक्षित करने के संघर्ष को याद करता है और कनाडा में रहने वाले एक बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम के योगदान का सम्मान करता है, जिन्होंने इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव दिया था।
- स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (2019) और युएलु उद्घोषणा (2018) भाषाई विविधता की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों का मार्गदर्शन करते हैं।

भगवान बुद्ध के अवशेष

हाल ही में, भारत ने घोषणा की कि वह नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए भगवान बुद्ध के कुछ अवशेषों की प्रदर्शनी 22 फरवरी से 18 मार्च तक थाईलैंड में आयोजित करेगा।

बुद्ध के अवशेषों के बारे में:

- ये अवशेष भगवान बुद्ध से जुड़ी पवित्र वस्तुएं हैं जिनमें शरीर के अंग (दांत, बाल, हड्डियां, आदि) या उनके द्वारा उपयोग की गई या छूई गई वस्तुएं शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को एकत्र किया गया और विभिन्न समुदायों के बीच आठ हिस्सों में विभाजित किया गया।
- मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवियों, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, अल्लकप्पा के बुली, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोलिय और वेथादीपा के एक ब्राह्मण के बीच अवशेष वितरित किए गए।
- भारत के पास भगवान बुद्ध की 20 अस्थियों के टुकड़े हैं जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित हैं।
- केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी ने इस पहल की पुष्टि करते हुए कहा कि अवशेष थाई सरकार के अनुरोध पर भेजे जा रहे हैं।
- प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध के अवशेषों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के सांची में संरक्षित उनके दो शिष्यों के अवशेष भी शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश के पिपरहवा से बुद्ध के अवशेषों की खुदाई की गई थी।

शेवेलियर डे ला लीजियन डी' होनूर पुरस्कार

हाल ही में शशि थरूर को अगस्त 2022 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा घोषित 'शेवेलियर डे ला लीजन डी'ऑनूर' (फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान) से सम्मानित किया गया था।

शेवेलियर डे ला लीजन डी' होनूर के बारे में:

- नेशनल ऑर्डर ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर, जिसे 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्थापित किया गया था, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, जो सैन्य और नागरिक दोनों उपलब्धियों को मान्यता देता है।
- लीजन के बैज में सामने की तरफ "रिपब्लिक फ्रैन्काइज़" (फ्रांस गणराज्य) लिखा हुआ है और पीछे की तरफ "होनूर एट पैट्री" (सम्मान और देश) आदर्श वाक्य के साथ तिरंगे अंकित हैं।
- लेजियन ऑफ ऑनर को बढ़ते सम्मान के क्रम में पांच डिग्री में विभाजित किया गया है: शेवलियर (नाइट), ऑफिसियर (अधिकारी), कमांडर (कमांडर), ग्रैंड ऑफिसियर (ग्रैंड ऑफिसर) और ग्रैंड-क्रोइक्स (ग्रैंड क्रॉस)।
- उदयपुर के महाराजा प्रताप सिंह 1918 में लेजियन ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे।
- 40 से अधिक भारतीयों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिनमें जेआरडी टाटा (1983), सत्यजीत रे (1987), ई श्रीधरन (2005), अमिताभ बच्चन (2007), लता मंगेशकर (2007), शाहरुख खान (2014) जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं।), कमल हासन (2016), रतन टाटा (2016), और अजीम प्रेमजी (2018)।

सुर्खियों में स्थल

यूनान

आज भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली में अपने ग्रीस समकक्ष क्यारीकोस मित्सोटाकिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

ग्रीस (राजधानी: एथेंस)

अवस्थिति : ग्रीस, जिसे आधिकारिक तौर पर हेलेनिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है, दक्षिणपूर्व यूरोप में एक स्थित एक देश है, जो बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर है।

भौगोलिक सीमाएँ: ग्रीस अपनी सीमा तुर्की और एजियन सागर (पूर्व), आयोनियन सागर (पश्चिम), उत्तरी मैसेडोनिया और बुल्गारिया (उत्तर), अल्बानिया (उत्तर पश्चिम) और क्रेटन और लीबिया सागर (दक्षिण) के साथ साझा करता है।

भौतिक विशेषताऐं:

- माउंट ओलंपस ग्रीस की सबसे ऊंची चोटी है।
- अलीकमोनस नदी, जिसे हलियाकमोन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीस की सबसे लंबी नदी है।
- ग्रीस अपने समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है, जिनमें बॉक्साइट, लिग्नाइट, मैग्नेसाइट, संगमरमर, निकल, चूना पत्थर, सीसा, जस्ता और जिप्सम शामिल हैं।

POINTS TO PONDER

- लाल सागर में यूरोपीय संघ के नए शुरू किए गए 'मिशन एस्पाइड्स' का उद्देश्य क्या है? - **ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों के हमलों से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा करना**
- हाल ही में किस राज्य को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजना के तहत ₹740 करोड़ मिले? - **उत्तर प्रदेश**
- आसियान-भारत माल व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? - **भारत**
- हाल ही में हुई खोज को क्वासर के नाम से क्या जाना जाता है? - **सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस**
- हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना शुरू की? - **हिमाचल प्रदेश**